संख्या-1023/2026/1107/22-2-2024-17(743)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 जुलाई, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक उर्फ करूआ पुत्र स्व0 रंजीत सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-20261/प्रो0-7/05/सीमित/एम-28.06.2024 दिनांक-08.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक उर्फ करूआ पुत्र स्व0 रंजीत सिंह, दीवान कला, थाना-जमुना पार, जनपद-मथुरा का निवासी है। वादी अशोक कुमार के अनुसार घटना दिनांक 25.08.2017 को उसकी पुत्री उम्र 08 वर्ष पड़ोस की दुकान से सामान लेकर आते समय अशोक उर्फ करूआ बहला फुसलाकर प्राइमरी दीवान कलाँ ले गया एवं बुरी नियत से दुर्व्यवहार किया किसी तरह उसकी पुत्री अशोक को चकमा देकर आ गयी। पीड़िता के अनुसार अशोक ने उसके साथ बलात्कार किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-2679/2017 में पॉक्सो एक्ट की धारा-6 गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिग हमला के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2, मथुरा के आदेश दिनांक 14.12.2020 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की जेल अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 14.06.2024 तक अपरिहार 06 वर्ष, 09 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 05 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के जेल से रिहा किये जाने से समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी अशोक कुमार के अनुसार घटना दिनांक 25.08.2017 को उसकी पुत्री उम्र 08 वर्ष पड़ोस की दुकान से सामान लेकर आते समय अशोक उर्फ करूआ बहला फुसलाकर प्राइमरी दीवान कलॉ ले गया एवं बुरी नियत से दुर्व्यवहार किया किसी तरह उसकी पुत्री अशोक को चकमा देकर आ गयी। पीड़िता के अनुसार अशोक ने उसके साथ बलात्कार किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के जेल से रिहा किये जाने से समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आख्या का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अशोक उर्फ करूआ पुत्र स्व0 रंजीत सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक उर्फ करूआ (बन्दी संख्या-18750) पुत्र स्व0 रंजीत सिंह, निवासी जनपद-मथुरा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1023/2026/1107(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1023/2026/1107/22-2-2024-17(743)/2025

दिनांक 29 जुलाई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक उर्फ करूआ पुत्र स्व0 रंजीत सिंह, दीवान कला, थाना-जमुना पार, जनपद-मथुरा का निवासी है। वादी अशोक कुमार के अनुसार घटना दिनांक 25.08.2017 को उसकी पुत्री उम्र 08 वर्ष पड़ोस की दुकान से सामान लेकर आते समय अशोक उर्फ करूआ बहला फुसलाकर प्राइमरी दीवान कलाँ ले गया एवं बुरी नियत से दुर्व्यवहार किया किसी तरह उसकी पुत्री अशोक को चकमा देकर आ गयी। पीड़िता के अनुसार अशोक ने उसके साथ बलात्कार किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-2679/2017 में पॉक्सो एक्ट की धारा-6 गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिग हमला के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2, मथुरा के आदेश दिनांक 14.12.2020 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की जेल अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 14.06.2024 तक अपरिहार 06 वर्ष, 09 माह, 17 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 05 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के जेल से रिहा किये जाने से समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी अशोक कुमार के अनुसार घटना दिनांक 25.08.2017 को उसकी पुत्री उम्र 08 वर्ष पड़ोस की दुकान से सामान लेकर आते समय अशोक उर्फ करूआ बहला फुसलाकर प्राइमरी दीवान कलॉ ले गया एवं बुरी नियत से दुर्व्यवहार किया किसी तरह उसकी पुत्री अशोक को चकमा देकर आ गयी। पीड़िता के अनुसार अशोक ने उसके साथ बलात्कार किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के जेल से रिहा किये जाने से समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आख्या का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अशोक उर्फ करूआ पुत्र स्व0 रंजीत सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।